

# फर्द अहकाम

[ नियम 26 ]

खण्ड अधिकारी, अलवर  
दाखा वगै०

मुकाम अलवर

अब्दुल वगै०

बनाम

2/4 नं०

सन् 2022

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
<p>07.01.2022</p> <p>आज पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उप०। वकील प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गयी। पत्रावली व राजस्व रिकॉर्ड की नकलात का अवलोकन करने पर एवं वकील प्रार्थीगण की एक पक्षीय बहस पर मनन करने पर प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में पाये जाते है।</p> <p>अतः अप्रार्थीगण को जरिये निषेधाज्ञा से दिनांक 27.01.2022 तक पाबन्द किया जाता है कि वो विवादित आराजी खसरा नं० 439/909 रकबा 0.54 है०, 440/910 रकबा 0.16 है० वाके ग्राम भाखेडा में कब्जा काशत में मजाहमत पैदा ना करे। अप्रार्थीगण जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. नोटिस तलब हो। प्रार्थी, अप्रार्थीगण की तलबी हेतु रजिस्टर्ड तलबाना पेश करे। क्यों ना उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा को ताफैसला दावा Absolute कर दिया जावे। यदि कोई आक्षेप हो तो दिनांक 27.01.2022 को उपस्थित होकर पेश करे। पत्रावली दिनांक 27.01.2022 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"><b>उपखण्ड अधिकारी</b> <b>अलवर (राज०)</b></p> <p>27.1.22</p> <p>वकील यादी/वकुलाय उप०/बार का कार्य स्थान पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशासनिक कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली दिनांक..... को पेश हो।</p> <p>7.1.22 पत्रावली पेश हुई। उमय पक्ष उप०। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यों में व्यस्त है। दिनांक.....19/1/22 को पेश हो।</p> <p>10/5/22</p> <p>पत्रावली पेश हुई। उमय पक्ष उप०। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यों में व्यस्त है। दिनांक 19/1/22 को पेश हो।</p>	<p>2/4-20 10/1/22</p>

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

तारीख  
हुकम

15/6/22

करीब वाहीगण के प्रा. एच पर पत्राकली  
तय्यार होकर पोरा हुई। हाका वाहीगण  
विद्वा होकर आविज हो चुका है। अतः प्रा. एच  
की आविज सिफा जाता है। प्रा. एच से  
होकर रमकर से रम की सलान भूतक पाह ह्ये।

  
उपखण्ड अधिकारी  
अलाहाबाद

सि 7 वारी हाद  
वैद्य सुवाहा

क. अ  
  
करवा

00169  
Rajiv Kumar

मिशनरी कालाज  
(अन) अलाहा